राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख–3) विभाग

क्रमांकःएफ 19(02)का./ख–3/2024 — जयपुर, दिनांक : 04/04/2024

विभागाध्यक्ष,
समस्त।

विषयः– समाचार पत्र/पत्रिकाओं के पुनर्भरण की ऑटोमेशन प्रक्रिया के संबंध में।

संदर्भ :–Finance (G&T) Department के आदेश F. 1(4) FD/GF & AR/2006 दिनांक 12.08.2021, Finance (T&A) Department के शुद्धि पत्र दिनांक 15.06.2022 एवं वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(4) वित्त/साविलेनि/2006 दिनांक 20.09.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेशों के अनुसार समाचार पत्र/पत्रिकाओं के पुनर्भरण की ऑटोमेशन प्रक्रिया दिनांक 01.09.2021 से प्रारम्भ हो चुकी है। जिसके तहत् संबंधित अधिकारियों को आदेश में उल्लिखित राशि का अग्रिम भुगतान मासिक रूप से दिया जावेगा एवं अधिकारी द्वारा अपने पे–मैनेजर पर एम्पलॉई लॉगिन से वार्षिक स्वघोषणा (Declaration) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह में किया जाना होगा। इस हेतु अधिकारी को कार्यालय में अथवा सिस्टम पर समाचार पत्र/पत्रिकाओं से संबंधित किसी भी प्रकार के बिल प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, स्वघोषणा ही पर्याप्त होगी।

संदर्भित आदेश जारी होने के उपरांत भी कुछ विभागों/अनुभागों द्वारा पूर्व की भॉती ही पुनर्भरण हेतु बिल इस कार्यालय में प्रस्तुत किए जा रहे है, जो उक्त आदेशों की अवहेलना है।

अतः उक्त आदेशों की पालना में वर्ष 2024–25 एवं प्रत्येंक वर्ष के अप्रैल माह में Online declaration की कार्यवाही करते हुए ऑटोमेशन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही समाचार पत्र/पत्रिकाओं के बिलों की पुनर्भरण की कार्यवाही स्वयं के स्तर से ही किया जाना सुनिश्चित करावें।

भविष्य में पुनर्भरण हेतु समाचार पत्र/पत्रिकाओं के बिल कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने पर इनका पुर्नभरण किया जाना संभव नहीं होगा।

अतः निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

भवदीय

– ह० –

उप शासन सचिव,
कार्मिक (ख) विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार (ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार (ऑडिट) राजस्थान, जयपुर।
9. रजिस्ट्रार राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
10. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
11. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग की उनके अधीनस्थ अंकेक्षण दलों द्वारा इन निर्देशों की पालनार्थ।
12. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त उपापन संस्थाओं को इसकी प्रति प्रेषित करवा कर इसकी पालना सुनिश्चित करावें।
13. रामस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी।
14. समस्त कोषाधिकारी।
15. तकनीकी निदेशक (computer cell), कार्मिक विभाग को भेजकर लेख है पत्र को कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव